फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./ 581 /जि.प./PMAY/2016–17 महासमुन्द, दिनांक: 24/1/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स–छत्तीसगढ़
रायपुर

विषय :– जिला पंचायत महासमुन्द में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पद संरचना के आधार पर रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन बाबत्।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला पंचायत महासमुन्द में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत जिला एवं जनपद स्तर पर रिक्त संविदा पद लेखापाल एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। कृपया विज्ञापन को छत्तीसगढ शासन की www.cgstate.gov.in के पोर्टल पर Upload करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– विज्ञापन।

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (I.A.S.)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

पृ.क्र./ 582 /जि.प./PMAY/2016–17 महासमुन्द, दिनांक: 24/1/2017

प्रतिलिपि:–

1. संचालक, PMAY-G विकास आयुक्त कार्यालय ब्लाक–1 कक्ष कमांक 43 (CIV) इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./ 586 /जि.प./PMAY/2016–17 महासमुन्द, दिनांक: 24/1/2017

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक 3282/आर 1760/22–1/2016 नया रायपुर दिनांक 22/10/2016 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु जिला/विकास खण्ड स्तर पर स्वीकृत पदों में रिक्त अधोलिखित पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 06/02/2017 तक सायं 05:30 बजे तक निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

क्र	पद का नाम	कुल पद संख्या	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
			महिला	वि क.	भूपू सै	मुक्त	योग	महिला	वि क.	भूपू सै	मुक्त	योग	महिला	वि क.	भूपू सै	मुक्त	योग	महिला	वि क.	भूपू सै	मुक्त	योग
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	लेखापाल (जिला स्तर)	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
2	डाटा एन्ट्री आपरेटर (जनपद स्तर)	04	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	योग :–	05					1					1										3

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें :–

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक :–

कमांक	पद का नाम	विवरण	शैक्षणिक योग्यता एवं चयन मेंरिट अंक
1	लेखापाल	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	बी.काम 55 प्रतिशत (अजा एवं अजजा हेतु 50 प्रतिशत में बी.काम) (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिये द्वितीय श्रेणी में बी.काम उत्तीर्ण)
		चयन हेतु मेरिट के अंक	1. हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का **Weightage** देते हुए 20 अंक।
			2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का **Weightage** देते हुए 50 अंक।
			3. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक।
			3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभवः–
			अ. न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक।
			ब. 05 वर्ष तक अनुभव 10 अंक।
			स. 05 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं. बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।
			2. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा ।
			3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रजी में 8000 की **(key)** डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
		चयन हेतु मेरिट के अंक	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का **Weightage** देते हुए 20 अंक।

			2. कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंको का **Weightage** देते हुए 65 अंक।
			3. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभवः–
			अ. न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक।
			ब. 05 वर्ष तक अनुभव 10 अंक।
			स. 05 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।

नियम एवं शर्तें :–

1– उपरोक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) कं. 591/2012 रिट पिटी. कं. 592/2012 रिट पिटी कं. 593/2012 रिट पिटी कं. 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

2– उपरोक्त पदों में प्रचलित आरक्षण नियमों अनुसार प्रत्येक संवर्ग के महिला (30 प्रतिशत), भूतपूर्व सैनिक (10 प्रतिशत) एवं विकलांग (06 प्रतिशत) के लिये समस्तर आरक्षण रहेगा। महिला एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी संवर्ग के मुक्त वर्ग के अभ्यर्थी से चयन किया जावेगा।

3– शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

4– संविदा नियुक्ति नियुक्त उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ..... तक के लिए होगी तत्पश्चात नियुक्तिकर्ता अधिकारी कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

5– संविदा नियुक्ति अवधि में शासन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन देय होगा।

6– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में न्युनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। शासन द्वारा आयु सीमा में दी गई छुट लागू होगी।

7– रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा 31 मार्च 2017 तक किसी भी कारणों से उत्पन्न रिक्तियो पर इसी विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों से नियमानुसार नियुक्ति की जा सकेगी।

8– संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी एवं नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।

9– संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

10– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

11– चयन की कार्यवाही एवं संपूर्ण प्रक्रिया इस हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी।

12– अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

13– जिन उम्मीदवारों को कम्प्यूटर व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, उनके कौशल परीक्षा में अनुपस्थिति की दशा में उन्हे अपात्र माना जाएगा।

14– शैक्षणिक योग्यता हेतु शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय के यथा स्थिति प्रमाण पत्र/उपाधि मान्य होंगें एवं कम्प्यूटर संबंधित अर्हता हेतु छ.ग. शासन द्वारा जारी आदेशानुसार निम्नलिखित संस्थाओं के प्रमाण पत्र मान्य होगे

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईसं/इन्फारमेशन टेक्नालाजी/माडन आफिस मैनेजमेन्ट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)

(ii) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईसं/इन्फारमेशन टेक्नालाजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पीजी डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नाकोत्तर उपाधि।

(iii) DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा एवं

(iv) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेन्स व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय सर्टिफिकेट।

15– विज्ञापित पदों पर शैक्षणिक आहर्ता/आयु/अनुभव आदि के संबंध में अस्पष्टता की स्थिति में शासन द्वारा जारी दिशा/निर्देशों के तहत निर्णय लिया जावेगा।

16– अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. की जाति की पुष्टि हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायप्रति संलग्न करना होगा।

– रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है। इस हेतु पंजीयन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न किया जावे।

18– आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति अभिप्रमाणित होना चाहिए।

19– प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन दिया जाना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें।

20– आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रूपये का टिकट लगा हुआ दो लिफाफा भी संलग्न करें।

21– अनुभवी अभ्यर्थी को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं अनापत्ति/अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22– प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

23– आवेदक का आवेदन दिनांक 06.02.2017 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

24– विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी और उसे **www.cg.nic.in/mahasamund** अथवा **www.zpmahasamund.cgpanchayat.gov.in** व **www.cgstate.gov.in** वेबसाईट में भी अपलोड किया जावेगा। किसी कारण से यदि व्यक्तिगत सूचना के प्राप्ति में विलंब होने अथवा सूचना प्राप्त न होने पर वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचना माना जावेगा।

25– विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला पंचायत महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं **www.cg.nic.in/mahasamund** अथवा **www.zpmahasamund.cgpanchayat.gov.in** व **www.cgstate.gov.in** पर देखी जा सकती है।

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (I.A.S.)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द